"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 324] रायपुर, बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2013—श्रावण 2, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-22/2013/वाक/पांच (47).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-10-22/2013/वाक-पांच (34) दिनांक 29-05-2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में शब्द एवं अंक "1 अप्रैल, 2013" के स्थान पर शब्द एवं अंक "1 अप्रैल, 2006" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2013

क्रमांक एफ-10-22/2013/वाक/पांच (47).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-22/2013/वाक/पांच (47), दिनांक 24-07-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 24th July 2013

NOTIFICATION

No. F-10-22/2013/CT/V (47).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby make the following amendment in notification No. F-10-22/2013/CT/V (34) dated 29-05-2013.

AMENDMENT

In the said notification, for the word and figure "1st April, 2013" the word and figure "1st April, 2006" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.